



सत्यमेव जयते

राजस्थान राज-पत्र
विशेषांक

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

साधिकार प्रकाशित

Published by Authority

ज्येष्ठ 4, सोमवार, शाके 1937—मई 25, 2015
Jyaistha 4, Monday, Saka 1937—May 25, 2015

Urgent.
Digvijay
D. P. Patnaik
14/7/15

भाग 1 (ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-3) विभाग
अधिसूचना

जयपुर, मई 21, 2015

संख्या एफ.23(2)चिकि.एवं स्वा.(ग्रुप-3)/2003/पार्ट :— गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 की धारा 16 ए की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्य सरकार, राज्य पर्यवेक्षण बोर्ड के गठन हेतु पूर्व में विभाग द्वारा जारी समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 01-07-2003 के क्रम संख्या 9 से 16 पर उल्लेखित सदस्यों का निम्नानुसार मनोनयन करती है :—

1. डॉ. नीता पाटनी (सामाजिक विज्ञानी)।
2. श्री कान सिंह राठोड़ (विधि विशेषज्ञ)।
3. श्रीमती सीमा दया (महिला कार्यकर्ता)।
4. श्रीमती मंजू शर्मा (महिला कार्यकर्ता)।
5. डॉ. सुमन महन्दी रत्ना (महिला रोग विशेषज्ञ)।
6. डॉ. मृदुल गहलोत (महिला रोग विशेषज्ञ)।
7. डॉ. तरुण पाटनी (अनुवांशिकी विज्ञानी)।
8. डॉ. सुषमा शर्मा (अनुवांशिकी विज्ञानी)।
9. डॉ. सतीश जैन (रेडियोलोजिस्ट)।
10. डॉ. गोपाल सिंह भाटी (सोनोलोजिस्ट)।

उक्त सदस्यों का कार्यकाल अधिसूचना जारी होने की तिथि से तीन वर्ष का होगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,

नीतू बारूपाल,

शासन उप सचिव,

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य ग्रुप-III,

शासन सचिवालय (राज.)।